न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 35 / 2018

1. वेदप्रकाश पुत्र
2. गिरिराज पुत्र } रामस्वरूप जाति धाकड निवासी भटेडिया तह0 मांगरोल
3. मधुसुदन पुत्र

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. रामस्वरूप पुत्र पूरणमल जाति धाकड निवासी भटेडिया तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

निर्णय दिनांक : 16.05.2018

दायरा दिनांक 15.05.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम भटेडिया में खसरा नं0 112 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 168 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 197 रकबा 0. 17 है0, खसरा नं0 242 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 244 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 365 रकबा 3.19 है0 कुल किता 8 रकबा 4.50 है0 खाता संख्या 116 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जो वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। प्रतिवादी कम 1 शामलाती खाते की अन्य आराजी खसरा नं0 126 रकबा 0.66 है0, खसरा नं0 151 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 161 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 216 रकबा 0.23 है0 कुल किता 4 रकबा 2.43 है0 खाता संख्या 68 वाके ग्राम भटेडिया में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/4 बतौर खाते दर्ज है। विवादित भूमि वादीगण की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है। जिस पर वादीगण निरन्तर कब्जा काश्त के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादी कम 1 कभी भी वादीगण की कब्जा काश्त विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द कर सकता है। इस कारण 13 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर कब्जा काश्त के आधार पर विवादित भूमि पर वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः वादीगण कब्जे

आराजी ग्राम भटेडिया में खसरा नं0 112 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.08 है0, नं0 168 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 197 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 242 रकबा 0.08 है0, खसरा 244 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 365 रकबा 3.19 है0 कुल किता 8 रकबा 4.50 है0 खाता संख्या 116 में वादीगण का नाम दर्ज कर उनको बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 15.05.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी कम 1 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 रामस्वरूप पुत्र पूरण मल जाति धाकड ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार हैः—

01. वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 आंशिक स्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6, 7 कानूनी है।
07. वाद पत्र की मद नं0 8 स्वीकार है।
08. वाद पत्र की मद नं0 9, 10 कानूनी है।

प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण की प्रार्थना स्वीकार है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादी की प्रार्थना स्वीकार की गयी है एवं उन्हे वादीगण की प्रार्थना से किसी प्रकार की आपत्ती नही है साथी ही ग्राम भटेडिया में खाता संख्या 116 किता 8 रकबा 4.50 है0 को वादीगण के खाते पृथक से दर्ज करने में अपनी सहमति प्रस्तुत की है। अतः संलग्न प्रदर्शो, दस्तावेजो व बयान गवाहान क्रमशः महावीर पुत्र मुलचंद जाति माली निवासी भटेडिया व पुष्पचन्द पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी भटेडिया के आधार पर ग्राम भटेडिया में खाता संख्या 116 की खसरा नं0 112 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 168 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 197 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 242 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 244 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 365 रकबा 3.19 है0 कुल किता 8 रकबा 4.50 है0 को वादीगण क्रमशः वेदप्रकाश, गिरीराज, मधुसुदन पुत्रान रामस्वरूप

...कड निवासी भटेडिया के खाते हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ...र तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर ...न होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मऊ नजमेंआम में सुनाया गया।